

[2025] 7 एस.सी.आर. 474 : 2025 आईएनएससी 822

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

नीरू @ निहारिका एवं अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 11340/2020)

14 जुलाई 2025

[सुधांशु धूलिया तथा के. विनोद चंद्रन,* जे.जे.]

विचारार्थ प्रश्न

क्या न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए गुणक में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक है और जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया है; क्या न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई 9% की ब्याज दर पूरी तरह से उचित है।”

सारांश टिप्पणियाँ

मोटर वाहन दुर्घटना दावा - पीड़ित (मृतक) वर्ष 1995 में एक ट्रक से टकरा गया - पीड़ित की मृत्यु हो गई - मृतक ब्रिटिश टेलीकॉम में इंजीनियर के रूप में कार्यरत था और उसे पाउंड में वेतन मिलता था - मृतक की पत्नी और दो नाबालिग बच्चों ने मुआवजे की मांग की - न्यायाधिकरण ने ट्रक के चालक को लापरवाह पाया - आय प्रमाणित हुई और न्यायाधिकरण ने 13 का गुणक अपनाया तथा व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का 1/3 घटाया - निर्भरता का नुकसान ₹78,33,540/- निर्धारित किया गया, जिसमें ₹40,000/- का 'लॉस ऑफ कंसोर्टियम' और ₹15,000/- प्रत्येक 'लॉस ऑफ एस्टेट' और अंतिम संस्कार खर्च के रूप में जोड़े गए - कुल मुआवजा ₹79,04,540/- निर्धारित किया गया - उच्च न्यायालय ने ट्रक चालक की लापरवाही की पुष्टि की और केवल मुआवजे की राशि में हस्तक्षेप किया, वह भी वर्ष 1995 एवं 1996 के औसत विनिमय दर को घटाकर - क्या उच्च न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप के योग्य है।

अभिनिर्धारित किया गया: संभावित रूप से पारिवारिक पेंशन केवल पत्नी को ही देय थी और जब उसने पुनः विवाह किया, तो यह बंद कर दी गई - हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता कि नाबालिग बच्चों को न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए गुणक का हक नहीं था - ऐसी परिस्थितियों में न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए गुणक में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, निर्भरता के नुकसान के लिए मुआवजा इस प्रकार होगा: $₹56,165 \times 130\% \times 12 \times 13 \times 2/3 = ₹75,93,508$ - इस राशि में न्यायाधिकरण द्वारा 'लॉस ऑफ कंसोर्टियम', 'लॉस ऑफ एस्टेट' और अंतिम संस्कार खर्च के रूप में

* लेखक

प्रदान की गई ₹70,000/- भी जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार कुल मुआवजा होगा: ₹76,63,508/-, जैसा कि उच्च न्यायालय ने भी निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई 9% ब्याज दर पूरी तरह से उचित है - भविष्य की संभावना के लिए ब्याज देने में कोई अवैधता नहीं है। SLP(C) संख्या 11340/2020 में मृतक और दावा करने वालों के जीवन काल को ध्यान में रखते हुए गुणक 13 लागू किया गया। न्यायाधिकरण के सामने ही मामला 12 वर्षों तक लंबित रहा और दावा करने वालों को केवल ₹50,000/- प्राप्त हुए। इसलिए, भले ही भविष्य की संभावनाओं के लिए 13 का गुणक लिया गया हो, वास्तविक रूप से राशि उस अवधि के बाद ही प्राप्त होती है जिसके लिए गुणक अपनाया गया था। समान स्थिति SLP(C) संख्या 22136/2024 में भी है, जहां दुर्घटना 2018 में हुई और गुणक 17 अपनाया गया, तथा दुर्घटना की तिथि से सात वर्ष बीत चुके हैं। दोनों मामलों में उच्च न्यायालय के आदेश को बनाए रखा जाता है और हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 6,8,9,12]

मुख्य शब्दों की सूची

मोटर वाहन दुर्घटना दावा; क्षतिपूर्ति; गुणक; निर्भरता का नुकसान; संघ का नुकसान; संपत्ति का नुकसान; अंतिम संस्कार का खर्च; ब्याज की दर; भविष्य की संभावनाओं के लिए ब्याज देना।

मामला सामने आ रहा है

सिविल अपील न्यायनिर्णय: विशेष अनुमति याचिका(सी) संख्या 11340/2020

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा FA संख्या 1789 of 2019 में दिनांक 11.10.2019 को पारित निर्णय एवं आदेश से

के साथ

विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 22136/2024

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए:

आदित्य कुमार, सुश्री इला नाथ, सी. जॉर्ज थॉमस, अभिषेक गोला, विरेश बी सहर्मा, अंशुल मेहराल, अक्षत अग्रवाल, ऋषभ सहाय माथुर, निशांत।

अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण के लिए:

मोहित डी. राम, सुश्री स्थवी अस्थाना, डॉ. लियो के. बी., संजीव खंडायत्रे, दुव्वाडा रमेश।

निर्णय

के. विनोद चंद्रन, जे.

1. एक मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक की पत्नी और दो नाबालिग बच्चे निर्भरता के नुकसान पर मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष थे। दुर्घटना 18.11.1995 को हुई जब मृतक एक कार में यात्रा कर रहा था जो एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाने के आरोप पर, दावेदार न्यायाधिकरण के समक्ष रु. 1,00,00,000/- के मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे बाद में संशोधित कर रु. 1,30,00,000/- कर दिया गया। मृतक अपने परिवार के साथ, दावेदार यूनाइटेड किंगडम में रह रहे थे। मृतक कई एकेडमिक उपलब्धियों वाला व्यक्ति था, जो ब्रिटिश टेलीकॉम में इंजीनियर के तौर पर काम करता था और उसे पाउंड में सैलरी मिलती थी।
2. न्यायाधिकरण ने एफ. आई. आर. पर भरोसा करते हुए ट्रक के चालक की लापरवाही पाई और कार के चालक द्वारा दायर एक दावा याचिका में पारित निर्णय भी पाया, जिसमें ट्रक चालक पर स्पष्ट रूप से लापरवाही पाई गई थी। आय सिद्ध हो गई और न्यायाधिकरण ने 13 का गुणक अपनाया और व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का एक तिहाई हिस्सा कम कर दिया। निर्भरता के नुकसान की गणना Rs.78,33,540/- पर की गई थी, जिसमें संघ के नुकसान के रूप में Rs.40,000/- और संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए Rs.15,000/- प्रत्येक को जोड़ा गया था। कुल मुआवजा Rs.79,04,540/- दिया गया था।
3. बीमा कंपनी ने पुरस्कार राशि के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की, जिसमें कई तरह के विवाद उठाए गए। शुरुआत में यह तर्क दिया गया कि यह दुर्घटना सिर्फ कार ड्राइवर की लापरवाही और जल्दबाजी की वजह से हुई। मुआवजे की राशि के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि निर्विवाद रूप से पत्नी का विवाह वर्ष 2002 में हुआ था और पहले पति की मृत्यु की तिथि से गणना करते हुए गुणक केवल 7 ही लिया जाना चाहिए था। न्यायाधिकरण द्वारा अपनाई गई विनिमय दर को भी 9 प्रतिशत की दर से दिए गए ब्याज के साथ जोड़ा गया था, जो कि मौजूदा ब्याज दरों के खिलाफ था। दावा याचिका के निपटारे में लंबी देरी के खिलाफ विशिष्ट तर्क लिया गया था, जिसे वर्ष 1995 में दायर किया गया था और वर्ष 2017 में निपटाया गया था। आरोप यह था कि यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) में निवास कर रहे दावेदार ही हुई देरी के लिए पूर्णतः जिम्मेदार थे। हम देखते हैं कि उक्त तर्क एसएलपी के ज्ञापन में प्रस्तुत संलग्नक ए-4 के आधार पर लिया गया है।
4. उच्च न्यायालय ने ट्रक चालक की लापरवाही की पुष्टि की और मात्रा में केवल 1995 और 1996 में मौजूद औसत विनिमय दर को कम करने की सीमा तक हस्तक्षेप किया।

पाउंड के प्रति भारतीय रुपये की विनिमय दर रुपये 52.3526 निर्धारित की गई, जबकि अधिकरण द्वारा इसे रुपये 54.2601 निर्धारित किया गया था। बीमा कंपनी ने न्यायाधिकरण के समक्ष लिए गए विभिन्न अन्य आधारों पर मात्रा में और हस्तक्षेप करने के लिए अपील दायर की है, जिस पर बीमा कंपनी के अनुसार न्यायाधिकरण द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था।

5. बीमा कंपनी ने अपील ज़ापन में विशेष रूप से कहा है कि दुर्घटना के समय लागू विनिमय दर के आधार पर, मृतक की मासिक आय केवल Rs.56,168 (1072.94×52.35) होनी चाहिए थी; जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई और भविष्य की संभावनाओं के लिए 30 प्रतिशत की कटौती करने में सही थे।
6. उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष बीमा कंपनी द्वारा लिया गया एक अन्य सम्मोहक तर्क यह है कि मृतक की पहली प्रत्यर्थी-पत्नी ने स्वीकार किया कि उसने 2002 में पुनर्विवाह किया था और उसके बाद वह अपने बच्चों के साथ अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि मृतक पति के नियोक्ता से उसे मिलने वाली पेंशन उसके बाद बंद कर दी गई थी। जाहिर है, दावेदारों की निर्भरता के नुकसान का आकलन केवल 7 वर्षों के लिए किया जा सकता है। अर्थात् 1995-2002 से, बीमाकर्ता का तर्क है। संभावित रूप से, पारिवारिक पेंशन केवल पत्नी को देय थी और उसके पुनर्विवाह के बाद उसे बंद कर दिया गया। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि नाबालिग बच्चे न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए गुणक के हकदार नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में, हमें अधिकरण द्वारा अपनाए गए तथा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए गुणक में हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण नहीं दिखाई देता। इस प्रकार निर्भरता के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति होगी; $Rs.56,165 \times 130\% \times 12 \times 13 \times \frac{2}{3rd} = Rs.75,93,508/-$ । उक्त राशि में ₹70,000/- और जोड़े जाएंगे, जो अधिकरण द्वारा सहचर्य की हानि, संपत्ति की हानि तथा अंत्येष्टि व्यय के लिए प्रदान की गई राशि है। इसलिए कुल पुरस्कार Rs.76,63,508/- होगा, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्धारित किया गया है।
7. एक और तर्क यह उठाया गया है कि 9% की दर से ब्याज प्रदान किया गया है। बीमा कंपनी यह तर्क देने के लिए मामले के संलग्नक पी-1 इतिहास पर निर्भर करती है कि दावेदारों द्वारा अपना साक्ष्य दर्ज नहीं करने के कारण अनुचित देरी हुई थी। संलग्नक पी-1 से हम देखते हैं कि दावा याचिका 28.12.1995 को दायर की गई थी और यह पहली बार 11.09.2012 पर सुनवाई के लिए आई थी। संलग्नक पी-1 से यह देखा गया है कि मामले को आवेदकों के साक्ष्य के लिए 2012 से 2016 तक की विभिन्न तिथियों पर सूचीबद्ध किया गया था। हालाँकि, ऐसा संकेत देने वाला कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है कि विचार में विलंब केवल दावेदारों की अनुपस्थिति के कारण ही हुआ था। केवल

इस कारण से कि चार वर्षों तक विभिन्न तिथियों पर मामला दावेदारों के साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध किया गया था, यह आवश्यक रूप से नहीं माना जा सकता कि विलंब के लिए दावेदार ही उत्तरदायी थे। कानून में देरी, उचित पुष्टि के बिना, एक या दूसरे पक्ष के कंधों पर नहीं डाली जा सकती है। अतः हमें विलंब को केवल दावेदारों की ही जिम्मेदारी ठहराने का कोई कारण नहीं दिखाई देता और ऐसी स्थिति में ब्याज अनिवार्यतः दावा याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक देय होगा; इस संबंध में अनेक न्यायिक दृष्टांत उपलब्ध हैं, जिनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

8. एक और तर्क उच्च दर के ब्याज, अर्थात् 9%, से संबंधित है, जिसके विरुद्ध कई न्यायिक दृष्टांत हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए। जिन फैसलों पर गौर किया गया, उनसे पता चलता है कि 1980 के दशक में अदालतें 12 प्रतिशत ब्याज दे रही थीं, जो 1990 के दशक में घटकर 9 प्रतिशत रह गई। 21वीं सदी के आगमन और दुनिया भर में आर्थिक मंदी के साथ, ब्याज दरों में काफी गिरावट आई। लेकिन वर्तमान में भी राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दी जा रही दीर्घकालिक जमा राशि पर ब्याज दर 7% या उससे अधिक है। संपूर्ण परिस्थितियों, विशेषकर हुई लंबी देरी को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि अधिकरण द्वारा प्रदान की गई 9% की ब्याज दर पूरी तरह उचित है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि दुर्घटना वर्ष 1995 में हुई थी।
9. बीमा कंपनी द्वारा उठाया गया एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा भविष्य की संभावनाओं के लिए ब्याज देने में अवैधता है, जो किसी भी स्थिति में अग्रिम रूप से प्राप्त राशि है, जो आम तौर पर केवल भविष्य में दावेदारों के लाभ के लिए होती है। यह संबंधित अपील एसएलपी (सी) संख्या 22136/2024 में उठाया गया एकमात्र तर्क है। हमें इस तर्क को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। एसएलपी(सी) संख्या 11340/2020 में, मृतक और दावेदारों के जीवन काल को देखते हुए लागू गुणक 13 है। स्वयं अधिकरण के समक्ष मामला 12 वर्षों तक लंबित रहा और दावेदारों को प्राप्त होने वाली केवल एक राशि ₹50,000/- थी। अतः यद्यपि राशि भविष्य की संभावनाओं के लिए 13 का गुणक लेते हुए प्रदान की जाती है; वास्तव में, धन उस अवधि के बाद ही प्राप्त होता है जिसके लिए गुणक को अपनाया जाता है। एसएलपी (सी) संख्या 22136/2024 में भी ऐसा ही मामला है, जहां दुर्घटना 2018 में हुई थी, लागू गुणक 17 है और दुर्घटना की तारीख से सात साल हो गए हैं।
10. हम यह देखने के बिना नहीं रह सकते कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर बीमा कंपनी को गणना पर दावे का निपटान करने से कोई रोक नहीं था, विशेष रूप से क्योंकि मोटर वाहन दुर्घटना में होने वाली मृत्यु पर निर्भरता के नुकसान के लिए मुआवजे का निर्धारण न्यायिक उदाहरणों से स्पष्ट रूप से किया जा सकता है; कम से कम अस्थायी

रूप से।

11. वास्तव में, यह इस दावे को अस्वीकार करने या उस पर विचार करने से इनकार करने के कारण है कि दावेदारों को न्यायाधिकरण के पास भेजा जाता है। जब मामला न्यायाधिकरण के समक्ष या उच्च मंचों के समक्ष अपील में लंबित होता है, तो दावेदार भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे से वंचित हो जाते हैं। यदि उन्हें समय पर भुगतान किया जाता है, तो इसका उपयोग दावेदारों द्वारा किया जा सकता है और विफलता पर, निर्भरता का नुकसान दावेदारों को कहीं और से अपनी आजीविका का स्रोत बनाने के लिए मजबूर करेगा। इसे ब्याज के पुरस्कार द्वारा कम से कम न्यूनतम रूप से क्षतिपूर्ति करने की मांग की जाती है, जो अक्सर नाममात्र भी होता है क्योंकि केवल साधारण ब्याज दिया जाता है। यदि दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को दिए जाने पर, अधिकरण के पुरस्कार के अधीन रहते हुए, अनुमानित गणना के आधार पर दावा-कर्ताओं को राशि का भुगतान कर दिया गया होता, तो कम से कम भुगतान की गई राशि की सीमा तक किसी प्रकार की ब्याज देयता उत्पन्न नहीं होती। अतः हम उक्त तर्क को अस्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि एसएलपी (सी) सं. 11340/2020 में दावा दायर करने की तिथि से लेकर भुगतान/वितरण की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज सहित संपूर्ण पुरस्कार राशि का भुगतान किया जाए, जिसमें से केवल ₹50,000/-, जो अंतरिम मुआवजे के रूप में प्रदान किया गया है, घटाया जाएगा; तथा एसएलपी (स) सं. 22136 / 2024 में उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए अनुसार 6% वार्षिक ब्याज देय होगा। साथ ही, पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि की कटौती की जाएगी।
12. हम दोनों मामलों में उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हैं और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। प्रदान की गई राशि, यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो 3 महीने की अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा और यदि चूक की जाती है तो चूक की तारीख से ब्याज के साथ पुरस्कार की कुल राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज होगा।
13. विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।
14. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: विशेष अनुमति याचिकाएँ अस्वीकृत की जाती हैं।

हेड नोट्स तैयार किए गए: अंकित ज्ञान